पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–7] रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 मई, 2006 ई0 (बैशाख 16, 1928 शक सम्वत्) [संख्या–18

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	177–179	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	61–62	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तरांचल	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	11–32	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वित्त विभाग

अधिसूचना

29 मार्च, 2006 ई०

संख्या 245/XXVII(8)/वाणिज्यकर (वैट)/2006–राज्यपाल, उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 27, वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) के साथ पठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1904) (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की अनुसूची II (ख) में दिनांक 01 अप्रैल, 2006 से निम्नलिखित संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अनुसूची II (ख) में क्रमांक 132 की वर्तमान प्रविष्टि के बाद स्तम्भवार निम्न प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्–

क्र0सं0	माल का वर्णन
1	2
133	प्लाईवुड उत्पाद अर्थात् ब्लौक बोर्ड, फ्लश डोर एवं विनीयर

आज्ञा से,

इन्दु कुमार पांडे,
प्रमुख सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 245/XXVII(8)/Vanijya kar (VAT)/2006**, dated March 29, 2006 for general information :

NOTIFICATION

March 29, 2006

No. 245/XXVII(8)/Vanijya kar (VAT)/2006-In exercise of the powers conferred under sub-section (4) of section 4 of the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), (as applicable to the State of Uttaranchal), the Governor is pleased to make with effect from April 01, 2006, the following amendment in Schedule II (B) of the said Act:–

After the existing entry at serial no. 132 in Schedule II (B), the following entry columnwise shall be added, namely--

Sl.No.	Description of Goods
1	2
133	Plywood product namely block board, flush door and veneer

By Order,

INDU KUMAR PANDE,
Principal Secretary, Finance.

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक)

अधिसूचना

22 अप्रैल, 2006 ई0

संख्या 388/XXIV(1)/2006–उत्तरांचल राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों हेतु बीटीसी प्रवेश परीक्षा आयोजित कराये जाने के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लोक उपक्रम एजूकेशनल कन्सलटेन्ट ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एडसिल) के माध्यम से दिनांक 26–02–2006 को आयोजित प्रवेश परीक्षा स्थगित किये जाने के कारण तथा उत्तरदायित्व निर्धारण एवं अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में जांच हेतु, मा0 न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) श्री इरशाद हुसैन का एकल सदस्यीय जांच आयोग अधिसूचना संख्या 4/शिक्षा/विविध/2006, दिनांक 26–02–2006 द्वारा एक माह हेतु गठित किया गया था। तदोपरान्त अधिसूचना संख्या 208/XXIV(1)/2006, दिनांक 27–03–2006 द्वारा उक्त आयोग का कार्यकाल दिनांक 26–03–2006 से तीन सप्ताह हेतु बढ़ाया गया था।

2–लेकिन अब पुनः सम्यक् विचारोपरान्त मा0 न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) श्री इरशाद हुसैन का एकल सदस्यीय जांच आयोग का कार्यकाल दिनांक 25–05–2006 तक बढ़ाया जाता है तथा आयोग से इस अवधि के अन्दर जांच पूर्ण किये जाने का अनुरोध किया जाता है।

डी0 के0 कोटिया,
सचिव।

सिंचाई विभाग

शुद्धि पत्र

25 अप्रैल, 2006 ई0

संख्या 2173/II–2006–01(50)/05–शासन द्वारा श्री नवनीत कुमार शर्मा, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की अधिशासी अभियन्ता के पद पर की गयी पदोन्नति से सम्बन्धित निर्गत शासनादेश संख्या 4665/II–2006–01 (440)/2003, में टंकण त्रुटिवश 21 मार्च, 2006 अंकित हो गया है। अतः कृपया उक्त शासनादेश की निर्गत तिथि 21 मार्च, 2006 के स्थान पर दिनांक 21 अप्रैल, 2006 पढ़ी जाय।

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 हिन्दी गजट/228–भाग 1–2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 मई, 2006 ई0 (बैशाख 16, 1928 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल

विज्ञप्ति

19 अप्रैल, 2006 ई0

संख्या 40 / XIV / 94 / प्रशा0 अनु0–अ / 2003–श्रीमती अर्चना सागर, सिविल जज (अवर खण्ड), नैनीताल को निम्न अवधियों का अवकाश स्वीकृत किया गया:–

1–दिनांक 30–01–2006 से 04–02–2006 तक 06 दिन का चिकित्सा अवकाश।

2–दिनांक 05–02–2006 का 01 दिन का अर्जित अवकाश।

न्यायालय की आज्ञा से,

रवीन्द्र मैठाणी,
अपर निबन्धक।

विज्ञप्ति

25 अप्रैल, 2006 ई0

संख्या 41 / XIV / 33 / प्रशा0 अनु0–अ / 2003–श्री डी0पी0 गैरोला, सचिव, लोक आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून को दिनांक 18–03–2006 से 31–03–2006 तक 14 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया।

26 अप्रैल, 2006 ई0

संख्या 42 / XIV / 90 / प्रशा0 अनु0–अ / 2003–श्री मिथलेश झा, सिविल जज (अवर खण्ड) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग, जिला चमोली को दिनांक 20–03–2006 से 29–03–2006 तक का 10 दिन का अर्जित अवकाश, अवकाश

के पूर्व दिनांक 19–03–2006 के रविवार अवकाश को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत किया गया।

न्यायालय की आज्ञा से,

वी0 के0 माहेश्वरी,
महा निबन्धक।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 हिन्दी गजट/228–भाग 1–क–2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 मई, 2006 ई0 (बैशाख 16, 1928 शक सम्वत्)

भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

नगरपालिका परिषद्, विकासनगर (देहरादून)

(सार्वजनिक सूचना)

04 अप्रैल, 2006 ई0

संख्या 12–उपनियम/2005–06–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 एक्ट सं0 2, 1916) की धारा 298–1(क)–(झ) एवं शासनादेश सं0 406/नौ–1997–95(जनरल)/1996, दिनांक 10 फरवरी, 1997 के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर नगरपालिका परिषद्, विकासनगर, जिला देहरादून द्वारा अपनी सीमान्तर्गत स्थित/स्थापित किये जाने वाले विद्युत ट्राँसफार्मरों, सब स्टेशन एवं विद्युत गृह को नियमित करने एवं शुल्क एकत्रीकरण हेतु आपत्तियां प्राप्त न होने के फलस्वरूप सर्वसम्मति से पालिका के विशेष प्रस्ताव सं0 160, दिनांक 31–12–2005 द्वारा प्रस्ताव पारित करने के पश्चात् नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 (2) के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, विकासनगर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्युत ट्राँसफार्मरों, सब स्टेशन एवं विद्युत गृह को नियमित करने एवं शुल्क एकत्रीकरण करने के लिए उपनियम बनाये गये हैं तथा दरें सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह उपनियम एवं संशोधित दरें सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू एवं प्रभावी होंगी।

उपविधियां

1. यह उपविधि लोक सुरक्षा और सुविधा उपविधि, 2005 कहलायेगी।
2. यह उपविधि उत्तरांचल प्रदेश सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
3. परिभाषायें–किसी विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(क) "नगरपालिका" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, विकासनगर (देहरादून) से है;

(ख) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, विकासनगर (देहरादून) से है;

(ग) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, विकासनगर के निर्वाचित अध्यक्ष से है;

(घ) "अधिनियम" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, अधिनियम, 1916, उत्तरांचल (यू0पी0 म्युनिसिपेलिटीज एक्ट सं0 2, 1916) अध्यादेश, 2002 से है;

(ङ) "सीमा" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, विकासनगर (देहरादून) की सीमा से है;

(च) "कर्मचारी" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, विकासनगर (देहरादून) के कर्मचारी से है।

4. शुल्क का विवरण व अधिरोपण–कोई भी व्यक्ति व कर्मचारी अथवा अभियन्ता, उत्तरांचल राज्य पावर कारपोरेशन/निगम अथवा अन्य विभाग, जिसके द्वारा नगरपालिका परिषद्, विकासनगर की सीमा में पूर्व में स्थापित अथवा भविष्य में स्थापित सभी विद्युत गृह, सब स्टेशनों/ट्राँसफार्मरों, जो पालिका परिषद् में निहित भूमि पर लगे हों या लगे पाये जायेंगे, चाहे उनकी अनुमति किसी भी स्तर पर प्राप्त की गई हो, जिनके द्वारा नगरपालिका परिषद् की सीमा में तार फैलाकर विद्युत संयोजन (घरेलू/व्यवसायिक) किया गया हो, उसे निम्न अनुसूची के अनुसार किराये के रूप में उन सभी पर शुल्क का अधिरोपण व संग्रह किया जायेगा। अन्य प्राविधान इस नियमावली के प्रयोजन हेतु नीचे अंकित किये गये है:–

शुल्क अनुसूची

विवरण	रु0
(क) प्रति विद्युत गृह/सब स्टेशन, ट्राँसफार्मर, जो भूमि पर फाउन्डेशन बनाकर रखा गया हो	30,000
(ख) प्रति ट्राँसफार्मर बड़े, जो भूमि पर फाउन्डेशन बनाकर रखा गया हो	10,000
(ग) प्रति ट्राँसफार्मर जो छोटे आकार के खम्बों पर रखा गया हो	6,000

उक्त शुल्क का भुगतान प्रति वर्ष अप्रैल माह में सम्बन्धित विभाग/निगम को करना होगा। यह शुल्क 01 अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा।

5. पालिका परिषद् द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में सम्बन्धित विभाग को शुल्क जमा करने हेतु बिल प्रेषित किया जायेगा, जिसके साथ विद्युत ट्राँसफार्मर का स्थान, स्थिति व शुल्क का ब्यौरा संलग्न किया जायेगा।

6. सम्बन्धित विभाग तीस दिन के अन्दर शुल्क जमा करेगा।

7. उत्तरांचल राज्य विद्युत कारपोरेशन/निगम के लिए अनिवार्य होगा कि वह नगरपालिका परिषद्, विकासनगर की सीमाओं में स्थित सभी स्टेशनों की संख्या प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में यथाशीघ्र देगा। पुनः स्थापित करने, नये लगाने अथवा उखाड़ने की सूचना यथासमय नगरपालिका परिषद्, विकासनगर को देगा।

8. विद्युत गृहों/सब स्टेशनों, ट्राँसफार्मर की देखभाल, मरम्मत व रख–रखाव का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग का होगा।

9. नये विद्युत गृहों/सब स्टेशनों, ट्राँसफार्मर को स्थापित करने से पूर्व उत्तरांचल राज्य विद्युत कारपोरेशन/निगम नगरपालिका परिषद्, विकासनगर को लिखित सूचना देगा, सूचना में उक्त स्थान का पूर्ण विवरण भी दिया जायेगा, जहां विद्युत गृह/सब स्टेशन, ट्राँसफार्मर को स्थापित किया जाना है।

10. विद्युत गृहों/सब स्टेशनों, ट्राँसफार्मरों की गणना नगरपालिका परिषद, विकासनगर द्वारा भी की जायेगी, संख्या में यदि कोई भी कमी या अधिकता प्रमाण सहित पाई जायेगी तो नगरपालिका परिषद्, विकासनगर को बिल में शुल्क का संशोधन करने का अधिकार होगा।

11. सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में 31 जनवरी तक शुल्क जमा न करने पर उत्तरांचल राज्य विद्युत कारपोरेशन/निगम को दस प्रतिशत सरचार्ज भी देना होगा। उत्तरांचल राज्य विद्युत कारपोरेशन/निगम द्वारा शुल्क न जमा करने पर नगरपालिका परिषद्, विकासनगर द्वारा बकाये शुल्क की वसूली भू–राजस्व के बकाये की भांति की जायेगी।

शास्ति

अधिनियम की धारा 299 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद, विकासनगर एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि इस उपविधि में दिये गये किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने पर जुर्माना, जो रु0 1000.00 तक हो सकता है और निरन्तर उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दोष सिद्धि की दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें यह साबित हो जाये कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है, रु0 25.00 प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

ह0/–अस्पष्ट
(बी0एल0 आर्य)
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, विकासनगर।

ह0/–अस्पष्ट
(रीना अग्रवाल)
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, विकासनगर।

नगरपालिका परिषद्, विकासनगर (देहरादून)

(सार्वजनिक सूचना)

04 अप्रैल, 2006 ई0

संख्या 12–उपनियम/2005–06–नगरपालिका परिषद्, विकासनगर, जिला देहरादून में उत्तरांचल (यू0पी0 म्युनिसिपेलिटीज एक्ट, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 298(2) लिस्ट जे0 (डी0) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्, विकासनगर के निर्माण कार्यों का सम्पादन करने हेतु ठेकेदारों को नियन्त्रित एवं पंजीकृत करने के लिए पूर्व में बनाई गई उपविधि को उत्तर प्रदेश शासकीय गजट 10 अक्टूबर, 1987 ई0 (आश्विन 18, 1909 भाग 3 दृ0सं0 950) में प्रकाशित हुई है। इस उपविधि के स्थान पर निम्नलिखित उपविधियां ठेकेदारों का नियंत्रण एवं पंजीकृत करने हेतु बनाई गई हैं। अपनी सीमा के भीतर ठेकेदारों को नियन्त्रित एवं पंजीकृत करने के लिए उपनियम में संशोधन कर पूर्व प्रकाशन के उपरान्त कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने के फलस्वरूप एवं उक्त संशोधन की पुष्टि सर्वसम्मति से पालिका प्रस्ताव संख्या 160, दिनांक 31–12–2005 द्वारा प्रस्ताव पारित करने के पश्चात् नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 (2) के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, विकासनगर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन किया गया तथा ठेकेदारों को नियन्त्रित एवं पंजीकृत करने के लिए बनाई गई नियमावली में नवीन संशोधित दरें सरकारी गजट में प्रकाशन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह उपनियम एवं संशोधित दरें सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू एवं प्रभावी होंगी।

उपविधियां

1. परिभाषायें:

(1) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, विकासनगर के ठेकेदारों की नियंत्रित एवं पंजीकरण उपविधि, 2005 कहलायेगी तथा यह गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू समझी जायेगी।

(2) इस उपविधि के गजट में प्रकाशन की तिथि के पश्चात् पूर्व में प्रकाशित उपविधि स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

(3) परिषद्–परिषद् का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, विकासनगर से है।

(4) बोर्ड–बोर्ड का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् के निर्वाचित सदस्यों की कमेटी से है।

(5) अधिनियम–अधिनियम का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1916, उत्तरांचल (यू0पी0 म्युनिसिपेलिटीज एक्ट सं0 2, 1916) अध्यादेश, 2002 से है।

(6) अध्यक्ष–अध्यक्ष का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, विकासनगर के निर्वाचित अध्यक्ष एवं प्रभारी अधिकारी से है।

(7) अधिशासी अधिकारी–अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, विकासनगर से है।

(8) पंजीकरण–पंजीकरण का तात्पर्य पालिका परिषद् द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के ठेकेदारों के पंजीकरण से है।

(9) ठेकेदार–ठेकेदार का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो नगरपालिका परिषद्, विकासनगर में सड़क/नाली, निर्माण, पुनर्निर्माण, सामग्री आपूर्ति एवं अन्य कार्य जो संविदा के अन्तर्गत आते हों, को करने के इच्छुक व्यक्ति से है।

(10) श्रेणी–श्रेणी का तात्पर्य ठेकेदार की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी से है।

2. पंजीकरण की प्रक्रिया:

पालिका परिषद् के सड़क/नाली एवं भवन के निर्माण कार्य के सम्पादन एवं सामग्री हेतु ठेकेदारों की तीन श्रेणियां होंगी। इच्छुक व्यक्ति प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में निम्न शर्तों/औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण कर सकता है:–

(1) वह भारत का नागरिक हो तथा नगर सीमा या जनपद में कम से कम 5 वर्ष से निवास करता हो। प्रमाण–पत्र तथा दो पासपोर्ट साईज फोटो देना अनिवार्य होंगे।

(2) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।

(3) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण–पत्र (श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है)

अ–प्रथम श्रेणी के लिए 5.00 लाख रुपया

ब–द्वितीय श्रेणी के लिए 3.00 लाख रुपया

स–तृतीय श्रेणी के लिए 2.00 लाख रुपया

(4) <u>प्रथम श्रेणी</u> में पंजीकरण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, जल निगम, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, नगरपालिका एवं जिला पंचायत आदि विभागों में कम से कम सड़क/नाली एवं भवन निर्माण का 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव एवं एक वित्तीय वर्ष में 1.00 करोड़ रुपये के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होंगे। इसके अतिरिक्त स्वयं का तकनीकी अभियंता एवं टी0एण्डपी0 (मिक्सचर मशीन/बाईबरेटर) आदि होने आवश्यक होंगे (अनुभव प्रमाण–पत्र अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा)।

(5) <u>द्वितीय श्रेणी</u> में पंजीकरण कराने हेतु उपरोक्त विभागों में कम से कम 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में 30.00 लाख रुपये के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होंगे (अनुभव प्रमाण–पत्र उपरोक्तानुसार जारी किया गया मान्य होगा)।

(6) <u>तृतीय श्रेणी</u> में पंजीकरण हेतु उत्तरांचल सरकार/भारत सरकार के किसी भी विभाग तथा प्रथम श्रेणी के ठेकेदार द्वारा जिसके साथ कम से कम एक वर्ष का कार्य किया हो, का अनुभव प्रमाण–पत्र देना होगा।

(7) प्रत्येक ठेकेदार को आयकर व व्यापार कर विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण प्रार्थना–पत्र के साथ उक्त विभाग के पंजीकरण का प्रमाण–पत्र देना होगा।

3. जमानतें:

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थायी जमानत राशि राष्ट्रीय बचत पत्र तथा किसान विकास पत्र के रूप में अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बन्धक कर प्रार्थना–पत्र के साथ देनी होंगी:–

अ– प्रथम श्रेणी के लिए 40,000.00 रुपया

ब– द्वितीय श्रेणी के लिए 20,000.00 रुपया

स– तृतीय श्रेणी के लिए 10,000.00 रुपया

4. पंजीकरण शुल्क:

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क नगद रूप में पालिका कोष में जमा करना होगा:–

अ– प्रथम श्रेणी के लिए 5,000.00 रुपया

ब– द्वितीय श्रेणी के लिए 3,000.00 रुपया

स– तृतीय श्रेणी के लिए 2,000.00 रुपया

5. पंजीकरण की अवधि:

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मात्र माह अप्रैल, मई व जून में ठेकेदारों के पंजीकरण किये जा सकेंगे। पंजीकरण का निर्धारित प्रार्थना–पत्र का प्रारूप रु0 25.00 पालिका कोष में जमा कर क्रय करना होगा तथा पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र निर्धारित प्रारूप पर मान्य होगा जो अवर अभियन्ता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

6. नवीनीकरण की प्रक्रिया:

ठेकदारों को प्रत्येक वर्ष निम्न श्रेणी के अनुसार अपना नवीनीकरण कराना होगा:–

(1) नवीनीकरण की अवधि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक होगी। इसके पश्चात् नवीनीकरण कराने पर प्रतिमाह रु0 200.00 विलम्ब शुल्क का भुगतान कर नवीनीकरण किया जायेगा।

(2) नवीनीकरण से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को एक निर्धारित प्रारूप पर जिसका मूल्य रु0 25.00 होगा, परिषद् कार्यालय से क्रय कर विगत वर्ष में किये गये विवरण कार्यों का विवरण देना होगा।

(3) नवीनीकरण शुल्क निम्न श्रेणी के अनुसार पालिका कोष में जमा कराने तथा विगत वर्ष में किये गये कार्यों के विवरण पर परिषद् के अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी:–

अ– प्रथम श्रेणी के लिए 500.00 रुपया

ब– द्वितीय श्रेणी के लिए 300.00 रुपया

स– तृतीय श्रेणी के लिए 200.00 रुपया

(4) अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण के नवीनीकरण को उसके त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए रोक सकता है।

(5) नवीनीकरण के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रत्येक वर्ष में चरित्र प्रमाण–पत्र तथा तीन वर्ष बाद नवीनतम हैसियत प्रमाण–पत्र देना होगा।

7. निर्माण के सम्पादन की सीमाः

प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को निम्नानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगाः–

(1) प्रथम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि के) निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

(2) द्वितीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रु0 50.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

(3) तृतीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रु0 1.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

8. निविदा प्रपत्र की लागतः

निविदा प्रपत्र का मूल्य निर्माण कार्य के व्यय अनुमान (आगणन) धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगाः–

	कार्यों की लागत (रुपये में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रुपये में)
अ–	50,000.00 तक	50.00
ब–	50,000.00 से 1,00,000.00 तक	100.00
स–	1,00,000.00 से 2,00,000.00 तक	200.00
द–	2,00,000.00 से 4,00,000.00 तक	300.00
य–	4,00,000.00 से 8,00,000.00 तक	500.00

र– 8,00,000.00 रुपये से ऊपर के कार्यों के प्रपत्र कर मूल्य प्रति 10,000.00 रुपये पर 10.00 रुपये के हिसाब से गणना कर निर्धारित किया जायेगा।

प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यों का ठेका लेने के लिए पालिका से निविदा प्रपत्र नगद मूल्य देकर खरीदेगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा होने के पश्चात् किसी स्थिति में न तो वापिस होगा और न ही आगामी निविदाओं में समायोजित होगा। निविदा प्रपत्र पालिका के पंजीकृत ठेकेदारों को ही बेचा जायेगा।

9. निविदा स्वीकार करने का अधिकारः

ठेकेदार द्वारा डाली गई निविदाओं में न्यूनतम निविदाओं को स्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष का होगा किन्तु यदि न्यूनतम निविदा आंकलन से ठेकेदार के 10 प्रतिशत लाभ घटाने के बाद भी कम है। तो इस दशा में पुनः निविदायें आमंत्रित की जा सकती हैं। निविदा डालने के 6 माह बाद तक उन्हीं दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा। यदि ठेकेदार को निविदा डालने की तिथि से 6 माह बाद कार्यादेश दिया जाता है तो ठेकेदार उन दरों पर कार्य करने लिए बाध्य नहीं होगा।

10. धरोहर राशिः

पंजीकृत ठेकेदारों की श्रेणीवार जो स्थाई जमानत धनराशि जमा है, इस सीमा तक निविदा के साथ कोई धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कुल टेण्डरों की धरोहर राशि श्रेणीवार दर से, जो पूर्व में जमा है, उसको समायोजित मानते अधिक अवशेष धनराशि पर 2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त धरोहर राशि टेण्डर

के साथ राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र के रूप में अधिशासी अधिकारी के पदनाम बन्धक कर प्रत्येक कार्य के लिए पृथक–पृथक में देनी होगी।

11. ठेकेदार का भुगतानः

कार्य समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार का कार्य संतोषजनक होने पर नियमानुसार बिल की धनराशि से समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आयकर, व्यापार कर एवं 10 प्रतिशत जमानत की राशि काटने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा। जमानत राशि का भुगतान 6 माह बाद कार्य संतोषजनक होने पर अवर अभियंता की संस्तुति पर किया जायेगा।

12. कार्य पूर्ण करने की अवधिः

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह टेण्डर फार्म में दी गयी कार्य अवधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करे। यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा उसकी कार्य अवधि बढ़ाने हेतु ठेकेदार द्वारा समय समाप्ति से पूर्व औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना–पत्र दिया गया हो तो अवर अभियंता/अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा कार्य अवधि बढ़ाने की स्वीकृति एक बार प्रदान की जा सकती है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी अवधि के लिए अवशेष कार्य पर 100 रु0 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड स्वरूप कटौती कर ली जायेगी।

13. पंजीकरण का निरस्तीकरणः

यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नहीं करता है अथवा कार्य संतोषजनक गुणवत्ता के अनुसार स्वीकृत स्टीमेट व साईट प्लान के अनुरूप नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में अवर अभियंता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त कर ऐसे ठेकेदार को काली सूची में ला सकता है। पंजीकरण निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार का ठेका स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य का भुगतान पालिका को हुई हानि के समायोजन के पश्चात् किया जायेगा।

14. जमानत जब्त करने का अधिकारः

यदि ठेकेदार पालिका उपनियमों या ठेके की शर्तों, अनुबन्ध–पत्र का उल्लंघन कर पालिका को कोई हानि पहुँचाता है या उपविधि के नियम 13 के विपरीत कार्य करता है तो ऐसी दशा में अवर अभियंता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष को ठेकेदार की जमानत जब्त करने का अधिकार होगा। यदि इसके बाद भी पालिका की क्षतिपूर्ति न हो सके तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी।

ह0/–अस्पष्ट

(बी0एल0 आर्य)

अधिशासी अधिकारी,

नगरपालिका परिषद्, विकासनगर।

ह0/–अस्पष्ट

(रीना अग्रवाल)

अध्यक्ष,

नगरपालिका परिषद्, विकासनगर।

नगरपालिका परिषद्, विकासनगर (देहरादून)

(सार्वजनिक सूचना)

04 अप्रैल, 2006 ई0

संख्या 12–उपनियम/2005–06–नगरपालिका परिषद्, विकासनगर, जिला देहरादून ने यू0पी0 म्युनिसिपेलिटीज एक्ट, 298 एवं शासनादेश सं0 2399/नौ–9–94–204 (जनरल)/90, दिनांक 27 अक्टूबर, 1994, शासनादेश सं0 1847/नौ–9–97–23ज/97, दिनांक 09 जून, 1997 एवं शासनादेश सं0 121 सी0एम0/नौ–9–97–3 ज/97, दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्व प्रकाशन के उपरान्त यू0पी0 म्यूनिसिपेलिटीज एक्ट की संशोधित धारा 301(2) के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, विकासनगर की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विकासनगर सीमा के अन्दर दुकानों एवं विभिन्न व्यवसायों को नियंत्रित करने के लिए शासन द्वारा निर्धारित लाइसेन्स एवं अन्य शुल्कों की दरों में वृद्धि हेतु पूर्व प्रकाशन के उपरान्त आम जनता से आपत्तियां प्राप्त न होने के फलस्वरूप सर्वसम्मति से पालिका के विशेष प्रस्ताव सं0 160, दिनांक 31–12–2005 द्वारा प्रस्ताव पारित करने के पश्चात् नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 (2) के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, विकासनगर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुकानों एवं विभिन्न व्यवसायों को नियन्त्रित करने के लिए उपनियम बनाये गये हैं तथा दरें सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह उपनियम एवं संशोधित दरें सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू एवं प्रभावी होंगी।

उपविधियां

1. परिभाषायें:

(1) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, विकासनगर की सम्पूर्ण सीमा के अन्दर विभिन्न व्यवसाईयों को नियंत्रण करने हेतु लाइसेंसिंग एवं अन्य शुल्क उपविधि, 2005 कहलायेगी तथा यह गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू समझी जायेगी।

(क) अधिनियम–अधिनियम का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1916, उत्तरांचल (यू0पी0 म्युनिसिपेलिटीज एक्ट सं0 2, 1916) अध्यादेश, 2002 से है;

(ख) नगरपालिका–नगरपालिका का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, विकासनगर से है।

(ग) अधिशासी अधिकारी–अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, विकासनगर से है।

(घ) अध्यक्ष–अध्यक्ष का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, विकासनगर के निर्वाचित अध्यक्ष एवं प्रभारी अधिकारी से है।

(ङ) बोर्ड–बोर्ड का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् के निर्वाचित सदस्यों की कमेटी से है।

(च) लाइसेंसिंग अधिकारी–लाइसेंसिंग अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका के "अधिशासी अधिकारी" से है।

2. नगरपालिका परिषद् की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति व्यवसाय आरम्भ तभी कर सकेगा जब वह इस हेतु नगरपालिका परिषद् कार्यालय में निर्धारित शुल्क का अग्रिम भुगतान कर लाइसेन्स प्राप्त कर सकेगा।

3. इस उपनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

4. लाइसेन्स जारी करने हेतु लाइसेन्स अधिकारी, अधिशासी अधिकारी होंगे या उनके द्वारा अधिकृत कोई कर्मचारी होगा।

5. प्रत्येक लाइसेन्सधारी प्राधिकृत जानवर का वध करने से पूर्व नगरपालिका परिषद्, विकासनगर द्वारा अधिभार प्राप्त पशुचिकित्सक या सेनेटरी ऑफिसर या सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) या स्वास्थ्य निरीक्षक से निरीक्षण करायेगा, उनके द्वारा पास कर दिये जाने के पश्चात् ही पशु का वध किया जायेगा।

6. लाइसेन्सदार का दायित्व होगा कि वह वध किये गये जानवरों के अंतड़ियों, खाल, हड्डियों, बाल आदि को सार्वजनिक पानी के स्थानों, स्नानघाटों, धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक मार्ग एवं नालियों में नहीं धोयेगा।

7. नगरपालिका के अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी को निर्णय करने का अधिकार होगा कि किस स्थान पर दुकान खोलने का लाइसेन्स दिया जाय, किन आवश्यक कारणों पर किन स्थानों पर दुकान खोलने का लाइसेन्स न दिया जाय या समस्त नगर क्षेत्र में मांस विक्रय हेतु कोई स्थान नियत करने की व्यवस्था कर सकते हैं।

8. कोई भी लाइसेन्सधारी किसी सार्वजनिक स्थान या पवित्र धार्मिक स्थान के पास खुलेआम न तो मांस का प्रदर्शन करेगा और ना ही उसे बेचेगा। 02 अक्टूबर को पू0 महात्मा गांधी एवं महावीर जयन्ती के सम्मान में कोई वध नहीं किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंगलवार के दिन पशुओं का वध वर्जित रहेगा।

9. नगर सीमा अन्तर्गत जिन व्यक्तियों द्वारा पशुओं का पालन पोषण किया जाता है, उनको प्रत्येक पशु जैसे–कुत्ता, गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, खच्चर आदि लाइसेन्स अनिवार्य होगा तथा जिन व्यक्तियों के द्वारा कुत्ते अपने आवासों में रखे गये हैं, उनके लाइसेन्स प्राप्त करने के साथ पालिका से कुत्ते के गले हेतु पट्टा लेना आवश्यक होगा। जिस कुत्ते का लाइसेन्स जारी होगा, उसके गले में पट्टा लेना आवश्यक होगा। जिस कुत्ते का लाइसेन्स जारी होगा उसके गले में पट्टा लगाया जाना अनिवार्य होगा।

10. लाइसेन्स की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में उसका लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से रद्द करने का अधिकार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के पास सुरक्षित होगा।

11. शासनादेश सं0 2399/नौ–9–94–204 (जनरल) 90, दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 द्वारा स्थानीय निकायों में लाइसेंसिंग शुल्क व अन्य शुल्कों की दरों को संलग्न सूची के अनुसार नगरपालिका परिषद्, विकासनगर में लागू करने हेतु यह उपविधि बनाई गई है जिसमें नगरपालिका परिषद्, विकासनगर में लागू समस्त लाइसेन्स की मद जोड़ी गई हैं।

12. केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य कोई विधि निहित संस्था के द्वारा तालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियंत्रण हेतु लाइसेन्स इन उपविधियों से भिन्न होंगे।

13. ऐसा कोई भी व्यक्ति जो छूत की बीमारी से पीड़ित है, उल्लिखित तालिका में वर्णित व्यवसाय नहीं करेगा तथा ऐसा किसी उल्लिखित व्यवसाय में सहायक अथवा नौकर भी नहीं रखा जायेगा।

14. नगरपालिका परिषद्, विकासनगर द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसाय करने वाले दुकानदारों के स्वामियों आदि का एक रजिस्टर बनाया जायेगा तथा उसी के आधार पर वार्षिक लाइसेन्स निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति अथवा लाइसेन्सदार निर्धारित अवधि में लाइसेन्स नहीं बनाता है, लाइसेन्स की धनराशि नगरपालिका परिषद्, विकासनगर में जमा नहीं करता है या चूक करता है तो उससे लाइसेन्स की धनराशि की वसूली हेतु नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 173 (क) के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय को वसूली प्रमाण–पत्र प्रेषित कर भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने का अधिकार नगरपालिका परिषद्, विकासनगर को होगा।

15. यदि कोई लाइसेन्सदार अपने व्यवसाय का लाइसेन्स 01 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नहीं बनाता है तो उसके पश्चात् लाइसेन्स की धनराशि पर प्रतिदिन रु0 10/– विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा।

16. जो शुल्क इस तालिका में नहीं हैं, उनके अतिरिक्त अन्य शुल्क नगरपालिका परिषद्, विकासनगर की सीमा के अन्दर उत्तरायणी मेले में लगने वाले अस्थाई व्यवसाय हेतु अस्थाई लाइसेन्स दिये जायेंगे जिनका मूल्यांकन सूची में दिये गये व्यवसाय की दरों के आधार पर किया जायेगा और जो व्यवसाय सूची में नहीं है, उनके लाइसेन्स की दरें नगरपालिका बोर्ड द्वारा तय/निर्धारित की जायेंगी।

17. नगरपालिका परिषद्, अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय किसी भी व्यवसाय/दुकान के लाइसेन्स का निरीक्षण कर सकते हैं तथा प्रत्येक दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश करने के लिए अधिकृत होंगे।

18. शासन द्वारा लाइसेन्सिंग हेतु निर्धारित लाइसेन्सों एवं अन्य शुल्कों की दरों में वृद्धि की तालिका एवं पूर्व में पालिका के लाइसेन्स मदों का विवरण एवं दरें निम्न प्रकार निर्धारित हैं:–

मद एवं दरों का विवरण

क्रमांक	मद का नाम	निर्धारित दर (रु0 में)
	परिवहन	
1.	आटो रिक्शा (2 सीटर)	300
2.	आटो रिक्शा (7 सीटर) टैम्पो	500
3.	आटो रिक्शा (4 सीटर)	400
4.	मिनी बस	1000
5.	बस	1700
6.	तांगा	50
7.	ठेला–ठेली	100
8.	हाथ ठेला	25

ऐसे दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध होने पर रु0 25/– (पच्चीस रुपये मात्र) प्रतिदिन अतिरिक्त दण्ड जमा करना होगा।

ह0/–अस्पष्ट
(बी0एल0 आर्य)
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, विकासनगर।

ह0/–अस्पष्ट
(रीना अग्रवाल)
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, विकासनगर।

नगरपालिका परिषद्, विकासनगर (देहरादून)

(उपनियम)

04 अप्रैल, 2006 ई0

संख्या 12–उपनियम/2005–06–नगरपालिका परिषद्, विकासनगर, जिला देहरादून में उत्तरांचल (यू0पी0 म्युनिसिपेलिटी एक्ट, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 298 सूची–I जे (डी) एवं शासनादेश सं0 2399/नौ–994–204 (जनरल)/94, दिनांक 27–10–1994 व शासनादेश सं0 1847/नौ–9–97–23ज/97, दिनांक 09 जून, 1997 के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, विकासनगर की सीमा के अन्दर खाद्य एवं पेय पदार्थों को नियन्त्रित तथा विनियमित कर पूर्व प्रकाशन के उपरान्त आम जनता से आपत्तियां प्राप्त न होने के फलस्वरूप सर्वसम्मति से पालिका के विशेष प्रस्ताव सं0 160, दिनांक 31–12–2005 द्वारा प्रस्ताव पारित करने के पश्चात् नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 (2) के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, विकासनगर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य एवं पेय पदार्थों को नियन्त्रित तथा विनियमित करने के लिए उपनियम बनाये गये हैं तथा दरें सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह उपनियम एवं संशोधित दरें सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू एवं प्रभावी होंगी।

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भः

(1) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, विकासनगर खाद्य/पेय पदार्थों के विक्रेताओं का विनियमन एवं नियन्त्रण उपविधि, 2005 कहलायेगी।

(2) यह उपविधि लागू होने की तिथि से पूर्व लाइसेन्स उपविधि स्वतः ही निष्प्रभावी होगी।

(3) यह नगरपालिका परिषद्, विकासनगर की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(4) यह नगरपालिका परिषद्, द्वारा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएंः

विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में:–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तरांचल (यू0पी0 म्यूनिसिपल एक्ट, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,

(ख) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, विकासनगर से है;

(ग) "अनुज्ञा" का तात्पर्य इस उपविधि के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा से है;

(घ) "नगरपालिका" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, विकासनगर से है;

(ङ) "खाद्य/पेय पदार्थ" में मानव द्वारा भोजन या पीने के लिए उपयोग किये जाने खाद्यान्न को छोड़कर प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है, कोई वस्तु जिसको साधारणतः मानव भोजन, स्वादिष्ट पदार्थों, मसालों तथा बर्फ के संयोजन अथवा तैयार करने में सम्मिलित या उपयोग किया जाता है। इसमें औषधि या जल सम्मिलित नहीं होता है;

(च) "विक्रेता" में खाद्य एवं पेय पदार्थ बनाने एवं विक्रय करने तथा फेरी वाले भी सम्मिलित हैं;

(छ) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

3. नगरपालिका परिषद्, विकासनगर की सीमाओं के भीतर कोई भी व्यक्ति जब तक कि उसको एतदर्थ लाइसेन्स स्वीकृत न किया गया हो, कोई खाद्य एवं पेय पदार्थ विक्रय के लिए प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

4. इस उपविधि के अधीन स्वीकृत किया गया लाइसेन्स निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:–

(क) कोई भी व्यक्ति विक्रय के लिए अभिप्रेत किसी खाद्य एवं पेय पदार्थ को किसी गंदे पात्र में या उसके ऊपर नहीं रखेगा अथवा ऐसा खाद्य एवं पेय पदार्थ स्वास्थ्य अधिकारी/खाद्य निरीक्षक के समाधानप्रद रूप में उचित रूप से ढके बिना प्रदर्शित नहीं करेगा ताकि धूल, मक्खियों, धुओं, कीडों आदि की पहुँच उस तक न हो सकें;

(ख) किसी खाद्य/पेय पदार्थ को किसी मलिन जल की नाली, धूल, शौचालय, मल, गोदाम या कचरा–पेटी के निकट नहीं रखा जायेगा;

(ग) संसर्गी या संक्रामक आंत्र रोगों से पीडित संदिग्ध व्यक्तियों की इस व्यापार को करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सुरक्षित प्रमाणित न कर दिया जाये;

(घ) खाद्य पदार्थ को तैयार करने में उपयोग किये गये समस्त तत्व अपमिश्रण से मुक्त और अच्छी कोटि के होंगे। विक्रय के लिए प्रदर्शित वस्तुओं को तैयार करने में उपयोग किये गये संघटकों की गुणवत्ता का निर्णायक स्वास्थ्य अधिकारी/खाद्य निरीक्षक होगा;

(ङ) खाद्य एवं पेय पदार्थ की तैयारी और बरतनों की सफाई या ग्राहकों द्वारा पीने के लिए उपयोग किया जाने वाला जल, जल संस्थान, विकासनगर के नल से आपूर्ति अथवा स्वास्थ्य अधिकारी/खाद्य निरीक्षक द्वारा प्रमाणित निर्मल स्रोत से लिया जायेगा और स्वच्छ पात्रों में भरकर रखा जायेगा जिस पर प्रदूषण के बचाव के लिए उपयुक्त ढक्कन होगा;

(च) खाद्य एवं पेय पदार्थ ग्राहकों को भली प्रकार से स्वच्छ पात्रों, थाली या दोनों में प्रस्तुत किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त कागज अथवा ऐसा कागज जो छपा या लिखा हो, का उपयोग नहीं किया जायेगा;

(छ) कोई भी विक्रेता या फेरी वाला ऐसी किसी बत्ती या अन्य प्रकाश का उपयोग नहीं करेगा जिससे उसके निर्माण या स्थिति के कारण धुआ या कालिख जमा होने की सम्भावना हो;

(ज) समस्त खाद्य/पेय पदार्थ की दुकानों में प्रयुक्त दोनों आदि को डालने के लिए उचित आधार की व्यवस्था की जायेगी और उनकी नियमित रूप से सफाई की जायेगी।

5. सब्जी एवं फल के लाइसेन्सधारी वर्णित स्थान से बाहर सब्जी एवं फल नहीं बेचेगा तथा सड़े–गले या आवश्यकता से अधिक पक्के तथा फल–सब्जी नहीं बेचेगा। यदि बेचते हुए निरीक्षण के दौरान पाया तो उनके लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए फल एवं सब्जी को कब्जे में लेकर नष्ट कर दिया जायेगा।

6. माँस विक्रय के लाइसेन्सधारी द्वारा प्राकृतिक मौत या संक्रामक रोग से मरी हुई किसी बकरी, भेड़, सुअर, मछली, भैंसा, मुर्गे/मुर्गी आदि का माँस अथवा सड़ा हुआ या दुर्गन्धयुक्त माँस न तो प्रदर्शित किया जायेगा और न ही बेचा जायेगा। माँस को साफ कपड़े से ढक्कर रखेगा तथा दुकान में जाली या अन्य ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे मक्खी आदि प्रवेश न कर सके। साथ ही दुकान का फर्श सीमेन्ट का होगा जो कि आसानी से पानी से धोया जा सके। दरवाजे और खिड़कियों में जाली की व्यवस्था करेगा। मुख्य द्वार एवं खिड़की पर चिक लटकायेगा ताकि मक्खियाँ आदि दुकान में प्रविष्ट न हो सकें तथा अपनी दुकान के आगे एक साइनबोर्ड लगाकर यह स्पष्ट करेगा कि यहाँ पर माँस हलाल या झटके का विक्रय होता है।

7. प्रत्येक लाइसेन्सधारी प्राधिकृत जानवर का वध करने से पूर्व नगरपालिका परिषद्, विकासनगर द्वारा अधिकार प्राप्त पशु चिकित्सक या सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) या स्वास्थ्य/सफाई एवं खाद्य निरीक्षक से निरीक्षण करायेगा, उनके द्वारा पास कर दिये जाने के पश्चात् ही पशु का वध किया जा सकेगा।

8. लाइसेन्सधारी का दायित्व होगा कि वह वध किये गये जानवारों की अंतड़ियों, हड्डियों,बाल आदि को सार्वजनिक पानी के स्थानों, स्नान घाटों, धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक मार्ग एवं नालियों में नहीं धोयेगा। इसके अतिरिक्त मीट की दुकान में अन्य कोई खाद्य पदार्थ न रखेगा और न बेचेगा।

9. इस उपविधि में अधीन प्रयोजनार्थ लाइसेन्स अधिकारी स्वास्थ्य अधिकारी/अधिशासी अधिकारी होगा।

10. किसी महामारी के प्रकोप अथवा व्यापकता के दौरान या उपर्युक्त शर्तों में से किसी के भंग के कारण स्वास्थ्य अधिकारी/खाद्य निरीक्षक/अधिशासी अधिकारी के विवेक पर लाइसेन्स को रद्द या निलम्बित किया जा सकता है।

11. प्रत्येक खाद्य एवं पेय पदार्थ विक्रेता को अपने प्रतिष्ठान/फैक्ट्री व फड़ में जैविक/अजैविक कूड़ा पृथक–पृथक से रखने हेतु कूड़ादान रखने अनिवार्य होंगे।

12. इस उपविधि के अधीन स्वीकृत लाइसेन्स ठीक आगामी मार्च के अन्त तक की अवधि तक मान्य रहेगा और उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन–पत्र स्वास्थ्य अधिकारी/खाद्य निरीक्षक/अधिशासी अधिकारी को उस दिनांक के लिए न्यूनतम एक मास से पूर्व में देनी चाहिए। उपर्युक्त उपविधि के अधीन जारी किये गये प्रत्येक लाइसेन्स के लिए निम्नानुसार फीस ली जायेगी–

शुल्क

		अनुज्ञा/नवीनीकरण शुल्क	विलम्ब शुल्क (प्रतिमाह)
		रु0	रु0
1.	आइस–क्रीम/बर्फ फैक्ट्री	1500	150
2.	आइस–क्रीम/बर्फ विक्रेता	500	50

		अनुज्ञा/नवीनीकरण शुल्क	विलम्ब शुल्क (प्रतिमाह)
		रु0	रु0
3.	आइस–क्रीम/बर्फ विक्रेता फेरी/ठेला	200	20
4.	कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा थोक विक्रेता	1500	150
5.	कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा थोक विक्रेता	500	50
6.	बेकरी (भट्टी)	1200	120
7.	बेकरी पावर	2400	240
8.	मसाला/पान मसाला फैक्ट्री	5000	500
9.	पान की दुकान	200	20
10.	चाय की दुकान	200	20
11.	चाय की ठेली	100	10
12.	मिठाई व जलपान की दुकान	1500	150
13.	चाट/बताशा की दुकान	1000	100
14.	चाट/बताशा की ठेली	200	20
15.	जूस की दुकान	1000	100
16.	जूस का ठेला	300	30
17.	गन्ने का रस	300	30
18.	सब्जी की दुकान	1000	100
19.	सब्जी का फड़	100	50
20.	सब्जी का ठेला	200	20
21.	फल की दुकान	1000	100
22.	फल का फड़	500	50
23.	फल का ठेला	200	20
24.	तरबूज/खरबूजा विक्रेता	500	50
25.	भोजनालय (साधारण)	1000	100
26.	रेस्टोरेन्ट	2000	200
27.	भैंसा माँस दुकान	300	30
28.	बकरा माँस दुकान	600	60
29.	मछली/मुर्गा माँस दुकान	500	50

		अनुज्ञा/नवीनीकरण शुल्क	विलम्ब शुल्क (प्रतिमाह)
		रु0	रु0
30.	सुअर माँस दुकान	600	60
31.	फास्ट फूड की दुकान	1000	100
32.	ठेका देशी शराब (प्रति दुकान)	6000	600
33.	ठेका विदेशी शराब (प्रति दुकान)	12000	1200
34.	बार/बियर	4000	400
35.	डेयरी फार्म	1000	100

शास्ति

अधिनियम की धारा 299 (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, विकासनगर एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि इस उपविधि में दिये गये किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने पर जुर्माना जो रु0 1000.00 तक हो सकता है और निरन्तर उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त जुर्माना से, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें यह साबित हो जाय कि अपराधी जारी रखा है, रु0 25.00 प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

ह0/–अस्पष्ट

(बी0एल0 आर्य)

अधिशासी अधिकारी,

नगरपालिका परिषद्, विकासनगर,

देहरादून।

ह0/–अस्पष्ट

(रीना अग्रवाल)

अध्यक्ष,

नगरपालिका परिषद्, विकासनगर,

देहरादून।

नगरपालिका परिषद्, विकासनगर (देहरादून)

(सार्वजनिक सूचना)

04 अप्रैल, 2006 ई0

संख्या 12–उपनियम/2005–06–नगरपालिका परिषद्, विकासनगर, जिला देहरादून में उत्तरांचल (यू0पी0 म्युनिसिपेलिटीज एक्ट, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 298 (2) लिस्ट–1–एच (बी) तथा (डी) के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, विकासनगर की सीमा के अन्दर ताँगा एवं रिक्शाओं को नियंत्रित तथा विनियमित करने के लिए पूर्व प्रकाशन के उपरान्त आम जनता से आपत्तियां प्राप्त न होने के फलस्वरूप सर्वसम्मति से पालिका के विशेष प्रस्ताव सं0 160, दिनांक 31–12–2005 द्वारा प्रस्ताव पारित करने के पश्चात् नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 (2) के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, विकासनगर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए ताँगा एवं रिक्शाओं को नियन्त्रित तथा विनियमित करने के लिए उपनियम बनाये गये है तथा दरें सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह उपनियम एवं संशोधित दरें सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू एवं प्रभावी होंगी।

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भः

(1) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, विकासनगर ताँगा, रिक्शा पर नियंत्रण उपविधि, 2005 कहलायेगी।

(2) यह नगरपालिका परिषद्, विकासनगर की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह नगरपालिका परिषद् द्वारा प्रख्यापित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएंः

(1) विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तरांचल प्रदेश नगरपालिका, 1916 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002) (संशोधन) अधिनियम, 2003 से है;

(ख) "अनुज्ञापित व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी ताँगा, रिक्शा का स्वामी अथवा संचालक हो और जिसने इस उपविधि के अधीन नगरपालिका परिषद्, विकासनगर की सीमा में उसे चलाये जाने हेतु अधिशासी अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो;

(ग) "अनुज्ञा पत्र" का तात्पर्य इस उपविधि से अधीन प्रदत्त अनुज्ञा पत्र से है;

(घ) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, विकासनगर से है;

(ङ) "अनुज्ञा" का तात्पर्य इस उपविधि के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा से है;

(च) "नगरपालिका" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, विकासनगर से है; तथा

(छ) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत होगा।

(2) ऐसे शब्दों और पदों के जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त हैं, वहीं अर्थ होगें जो अधिनियम में दिये गये हैं।

3. प्रतिषेधः

कोई भी व्यक्ति नगरपालिका परिषद्, विकासनगर की सीमा में अधिशासी अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी ताँगा, रिक्शा का संचालन नहीं करेगा।

4. आवेदन–पत्र का परीक्षण एवं जाँचः

(क) अधिशासी अधिकारी आवेदित अनुज्ञा प्रदान करने के पूर्व वाहन खड़े होने के लिए यथोचित स्थान पर्यावरण प्रदूषित न होने व अन्य सुसंगत बिन्दुओं पर जाँच करायेंगे और यदि कोई भी व्यवधान, बाधा या प्रदूषण निहित हो तो उस स्थिति में अनुज्ञा प्रदान नहीं की जायेगी।

(ख) निम्नलिखित दशाओं में अनुज्ञा प्रदान नहीं की जायेगीः–

1. उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो जाये या उसकी आयु 18 वर्ष से कम हो।

2. उसका स्वास्थ्य खराब हो।

3. उसके चरित्र के बारे में शिकायत हो।

5. अनुज्ञा और उसकी अवधिः

(क) प्रत्येक दृष्टि से पूर्णतयः सन्तुष्ट हो जाने के उपरान्त अधिशासी अधिकारी द्वारा नगरपालिका परिषद्, विकासनगर की सीमा में तांगा, रिक्शा चलाने हेतु एक वर्ष के लिए (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) इस उपबन्ध पर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी कि अनुज्ञा की शर्तों के उल्लंघन पर किसी भी समय लाइसेन्स निलम्बित या निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) अनुज्ञाधारक को लाइसेन्स के साथ टोकन/परिचय–पत्र निर्धारित शुल्क जमा कर लेना अनिवार्य होगा।

(ग) तांगा, रिक्शा के संचालन हेतु चालक की आयु अनुज्ञा प्राप्त करने के समय 18 वर्ष से कम व 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु का प्रमाण–पत्र केवल मान्यता प्राप्त संस्था के सर्टिफिकेट अथवा स्कूल सर्टिफिकेट या जन्म–पत्री अथवा उपरोक्त के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून से जारी आयु प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(घ) पालिका द्वारा जारी किये जाने वाले रिक्शा एवं तांगा लाइसेन्स के लिए पुलिस विभाग से सत्यापन भी कराया जाना आवश्यक होगा।

6. अनुज्ञा का नवीनीकरणः

(क) अनुज्ञा अप्रैल से मार्च तक के लिए होगी और वर्ष में किसी भी मास में अनुज्ञा प्रदत्त होने पर पूरे वर्ष का शुल्क देय होगा।

(ख) अनुज्ञा का नवीनीकरण अधिशासी अधिकारी के पूर्णतयः सन्तुष्ट हो जाने पर किया जायेगा।

(ग) नवीनीकरण हेतु आवेदन–पत्र मार्च माह में प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ नगरपालिका परिषद कोष में नवीनीकरण शुल्क जमा कर दिये गये होने की रसीद संलग्न की जायेगी।

(घ) यदि ऐसा आवेदन–पत्र प्रथम अप्रैल के उपरान्त किन्तु मई के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है तो अनुसूची में दी गई दरों पर विलम्ब शुल्क दिया जायेगा।

(ङ) यदि मई के उपरान्त नवीनीकरण हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उस स्थिति में नवीनीकरण शुल्क सहित सामान्य दर पर जुर्माना अदा करने पर ही आवेदन–पत्र पर विचार किया जायेगा।

7. अनुज्ञा का निलम्बन/निरस्तीकरणः

यदि किसी भी अनुज्ञाधारक द्वारा किन्हीं भी उपर्युक्त शर्तों सहित लाइसेन्स में अभिलिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है अथवा अन्य किसी भी प्रकार अवरोध, व्यवधान, बाधा या प्रदूषण होना सत्यापित हो जाता है तो उस स्थिति में उस अनुज्ञाधारक की अनुज्ञा, उसे बचाव का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात्, निलम्बित कर दी जायेगी और अपराध सिद्ध हो जाने पर ऐसी अनुज्ञा सदा के लिए निरस्त कर दी जायेगी।

शुल्क

तांगा, रिक्शा के संचालन हेतु अनुज्ञा के लिए प्रतिवर्ष

	अनुज्ञा/नवीनीकरण शुल्क	विलम्ब शुल्क	टोकन/परिचय–पत्र की लागत	दण्ड
	रु0	रु0	रु0	
तांगा	50.00	10.00 प्रतिमाह	50.00	
रिक्शा (किराये पर)	150.00	10.00 प्रतिमाह	50.00	
रिक्शा (निजी)	125.00	10.00 प्रतिमाह	50.00	

शास्ति

अधिनियम की धारा 299 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, विकासनगर एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि इस उपविधि में दिये गये किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन जुर्माना जो रु0 1000.00 तक हो सकता है और निरन्तर उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दोष सिद्धि की दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें यह साबित हो जाये कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है, रु0 25.00 प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

ह0/–अस्पष्ट
(बी0एल0 आर्य)
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, विकासनगर।

ह0/–अस्पष्ट
(रीना अग्रवाल)
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, विकासनगर।

नगरपालिका परिषद्, विकासनगर (देहरादून)

(सार्वजनिक सूचना)

04 अप्रैल, 2006 ई0

संख्या 12–उपनियम/2005–06–नगरपालिका परिषद्, विकासनगर, जिला देहरादून में उत्तरांचल (यू0पी0 म्युनिसिपेलिटीज एक्ट, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 298 सूची शीर्षक I (घ) के अन्तर्गत के अभिलेखों तथा दस्तावेजों का निरीक्षण तथा प्रतिलिपि विनियमन के लिए पूर्व प्रकाशन के उपरान्त आम जनता से आपत्तियां प्राप्त न होने के फलस्वरूप सर्वसम्मति से पालिका के विशेष प्रस्ताव सं0 160, दिनांक 31–12–2005 द्वारा प्रस्ताव पारित करने के पश्चात् नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 (2) के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, विकासनगर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभिलेखों तथा दस्तावेजों का निरीक्षण तथा प्रतिलिपि विनियमन करने के लिए उपनियम बनाये गये हैं तथा दरें सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह उपनियम एवं संशोधित दरें सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू एवं प्रभावी होंगी।

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भः

(1) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, विकासनगर अभिलेखों तथा दस्तावेजों का निरीक्षण तथा प्रतिलिपि विनियमन उपविधि, 2005 कहलायेगी।

(2) यह नगरपालिका परिषद्, विकासनगर की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह नगरपालिका परिषद्, द्वारा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएंः

विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तरांचल (यू0पी0म्यूनिसिपल एक्ट, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2003 से है;

(ख) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, विकासनगर से है;

(ग) "अनुज्ञा" का तात्पर्य इस उपविधि के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा से है;

(घ) "नगरपालिका" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, विकासनगर से है;

3. अधिनियम द्वारा व्यवस्थित या उसके अधीन से भिन्न के सिवाय नगरपालिका परिषद, विकासनगर से सम्बन्धित या उसके कब्जे में रखे किसी अभिलेख या दस्तावेज की कोई प्रति या उससे उद्धरण नहीं दिया जायेगा, न ही किसी ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे अभिलेख या दस्तावेज के निरीक्षण की स्वीकृति अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना दी जायेगी।

4. उपर्युक्त के सिवाय, कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे अभिलेख या दस्तावेज का निरीक्षण करना चाहे अथवा उसकी कोई प्रति या उसके उद्धरण प्राप्त करना चाहे, अधिशासी अधिकारी को लिखित आवेदन–पत्र देगा जिसमें अभिलेख या दस्तावेज का वर्णन स्पष्ट रूप से किया जायेगा। आवेदन–पत्र पर न्यायालय फीस स्टाम्प लगाया जायेगा।

5. नगरपालिका परिषद्, विकासनगर तथा राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अधिकारी के बीच पत्र व्यवहार तथा जहां अधिशासी अधिकारी के विचार में उनका निरीक्षण किसी प्रकार से नगरपालिका परिषद् के हित के लिए हानिकारक हो, निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऐसे अभिलेखों से उद्धरणों की प्रतियां भी अस्वीकार कर दी जायेंगी।

6. किसी ऐसे दस्तावेज से कोई उद्धरण नहीं दिया जायेगा जिसको शेष पत्रावली से पृथक पढ़ने पर नगरपालिका परिषद्, विकासनगर, अध्यक्ष या कार्यपालक अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश का गलत निर्वचन हो जाता हो। निम्नलिखित फीस प्रभार्य होगी:–

(क)	कार्यवृत्त पुस्तक या कर निर्धारण सूची से भिन्न किसी दस्तावेज या अभिलेख को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने के लिए	20 रुपया
(ख)	किसी दस्तावेज का पता लगाने या खोज के प्रयोजनार्थ किसी अनुक्रमणिका रजिस्टर की छानबीन के लिए प्रत्येक वर्ष की छानबीन के लिए	10 रुपया
(ग)	(य) किसी दस्तावेज या कार्यालय अभिलेख से प्रतिलिपि या उद्धरण बनाने के लिए	20 रुपया की न्यूनतम फीस के अधीन रहते हुए 60 शब्दों के प्रति पुलिस केस पृष्ठ या किसी पृष्ठ के आगे के लिए 10 रुपया
	(र) यदि मूल सारणीबद्ध रूप में हो	(य) के लिए प्रभार से दो गुना

(घ)	किसी प्रति को अनुप्रमाणित करने के लिए	10 रुपया
(ङ)	किसी रेखाचित्र की प्रतिलिपि के लिए	माप और ब्यौरे के अनुसार न्यूनतम 20 रुपया

ह0/–अस्पष्ट

(बी0एल0 आर्य)

अधिशासी अधिकारी,

नगरपालिका परिषद्, विकासनगर।

ह0/–अस्पष्ट

(रीना अग्रवाल)

अध्यक्ष,

नगरपालिका परिषद्, विकासनगर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 हिन्दी गजट/228–भाग 8–2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।